

संख्या - 117121 /15-7-2003 -1616 1/2003

प्रेषक,

श्रीमद्गुरु अग्निहोत्री,  
समुदाय सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रतिष्ठित विहार, नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2003

विषय:- आर०के० सिकन्दराबाद स्कूल सिकन्दराबाद बुलन्दशहर को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह बताने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०मा० शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायामेन्स नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र०मा० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

—2—

  
Principal  
R.K. Educational School  
Sikandrabad (Bulandshahr) U.P.

Scanned with CamScanner

- 15। संस्था वैयक्तिक एवं वित्तीय तंत्र कर्मचारियों को राजकीय सहयोग प्राप्त  
विशेष संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों  
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16। कर्मचारियों की सेवाएं पूर्ण बनानी जायेंगी और उन्हें सहयोग प्राप्त  
अवसर्गीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य  
सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे  
संस्था उनका पालन करेगी ।
- 18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकृत में रखा जायेगा ।
- 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वनिर्धारित के बिना कोई परिवर्तन/  
संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगी और यदि  
किसी समय यह पाया जाय कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया  
जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की गड़बड़ या झिझिलता बरती जा रही  
है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

पृष्ठ- 117

15/5-7-तद्विनिर्देश

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- माडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बुलन्दशहर ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय-30 प्रो, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, आरओ स्कूल स्कुल सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर ।
- 6- गैड बुक ।

अज्ञात से,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री ।  
संयुक्त सचिव ।

*K. K. K.*  
Principal  
R.K. Educational School  
Sikandrabad (Bulandshahr) U.P.